न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भुसावर (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी :– राधेश्याम मीणा (आर.ए.एस.)

प्रकरण सख्याः 02/19 दायर दिनांकः 05.08.2019

जीसीएमएस नं. 2019/00229

उनवान

1 पिंकी उर्फ पिन्टो पुत्री मोहनलाल पत्नि इन्द्रजीत जाति जाट नि. छौंकरवाडा कलां तह. भुसावर हाल नि. कुरवारा तह. कुम्हेर जिला भरतपुर 2 दिगम्बर पुत्र मोहनलाल जाति जाट नि. छौंकरवाडा कलां तह. भुसावर जिला भरतपुर राज.।

––अपीलाण्ट्स

बनाम

1 ग्राम पंचायत छौंकरवाडा कलां जरिये सरपंच ग्राम पंचायत छौंकरवाडा कलां पंचायत समिति भुसावर जिला भरतपुर राज.।

2 बिमलेश शर्मा पत्नि निरोत्तम शर्मा 3 रजनी पुत्री निरोत्तम शर्मा 4 पवन 5 आकाश पुत्रान निरोत्तम शर्मा जातियान ब्राह्मण नि. नंगला पैमा उर्फ प्रेम नगरिया पोस्ट चिनाना पं.स. सेवर जिला भरतपुर राज.।

––रेस्पोन्डेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.ए. 1956
विरूद्ध नामा. सं. 39 दिनांक 08.07.2019
ग्राम पंचायत छौंकरवाडा कलां, पं.स. भुसावर

अधिवक्ताः–
1 श्री सुशील कुमार पाण्डेय ––अपी.
2 श्री महेश मीना ––रेस्पो.सं. 2 लगा. 5

निर्णय दिनांक 25.11.2025

वकील अपीलाण्ट्स द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.ए. के तहत पेश किया गया। जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलाण्ट मृतक मोहनलाल पुत्र किरोडी जाति जाट नि. छौंकरवाडा कलां तह. भुसावर के विधिक वारिसान है।

अपीलाण्ट के स्वर्गीय पिता मोहनलाल द्वारा ग्राम छौंकरवाडा कलां तह. भुसावर में छोडी गई आराजी खसरा नंबर 2124 रकबा 0.20 से 1/3 हिस्सा व आ.ख.नं. 162 रकबा 0.21, 293 रकबा 0.12, 2161 रकबा 0.11, 2164 रकबा 0.15, 2165 रकबा 0.13, 2170 रकबा 0.09, 2330 रकबा 0.19, 2342 रकबा 0.14, 2355 रकबा 0.10, 2356 रकबा 0.11 से 5/16 हिस्सा स्थित है, जो अपीलाण्ट की पैतृक संपत्ति है। जिस पर अपीलाण्ट अपने स्वर्गीय पिता मोहनलाल के जीवनकाल से काबिज रह कर काश्त करते चले आ रहे है।

अपीलाण्ट ही मृतक मोहनलाल के एकमात्र विधिक वारिसान है, इनके अलावा अन्य कोई वारिसान नहीं है। लेकिन रेस्पोडेण्ट संख्या 2 लगायत 5 के रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व पटवारी हल्का से मिलकर फर्जी तरीके से व फर्जी दस्तावेज तैयार कर मृतक मोहनलाल के द्वारा छोडी गई पैतृक आराजीयात का विरासत का दाखिला खारिज अपने नाम करा लिया है, जबकि रेस्पोडेण्ट संख्या 2 लगायत 5 मृतक मोहनलाल के विधिक वारिसान नहीं है और ना ही छौंकरवाडा कलां के निवासी है और ना ही जाति से जाट है, बल्कि रेस्पोडेण्ट संख्या 2 लगायत 5 जाति ब्राह्मण है तथा निरोत्तम शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी नंगला पैमा उर्फ

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर) राज०

प्रेमनगरिया पोस्ट चिनाना पं.स. सेवर के विधिक वारिसान है और वहीं रहते है। जिनके राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड, आधार कार्ड, जॉब कार्ड भी गॉव नंगला पैमा प्रेमनगरिया के है। जिनकी प्रति फोटो कॉपी संलग्न है।

रेस्पोडेण्ट संख्या 2 लगायत 5 ने सरपंच व पटवारी हल्का से अपराधिक षडयंत्र रच कर व फर्जी दस्तावेज तैयार करा कर अपीलाण्ट की उक्त कृषि भूमि को हडपने के इरादे से उक्त नामान्तकरण फर्जी व गलत तरीके से अपने नाम दर्ज व तस्दीक करा लिया है, जबकि रेस्पोडेण्ट संख्या 2 लगायत 5 का मृतक मोहनलाल द्वारा छोडी गई उक्त कृषि भूमि पर आज तक कोई भी कब्जा व काश्त नहीं रहा है और ना ही वे मृतक मोहनलाल के विधिक वारिसान है। उक्त नामान्तकरण कानून गलत है व सिद्धान्तों के विपरीत है, जो कि निरस्त किये जाने योग्य है।

अपीलाण्ट्स द्वारा निवेदन किया गया है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत छौंकरवाडा कलां के नामान्तकरण संख्या 39 दिनांक 08.07.2019 को निरस्त किया जाकर अपीलाण्ट के नाम मोहनलाल मृतक का विरासत का इंतकाल दर्ज किया जावे।

हमने अपील अपीलांट्स दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोन्डेण्ट्स की तलवी जरिये रजि. डाक से कराई गई। नोटिस की ताईद में रेस्पोण्डेण्ट्स संख्या 2 लगायत 5 की ओर से श्री महेश मीना एड. द्वारा वकालतनामा एवं जवाब पेश किया गया तथा रेस्पो. संख्या 1 बाद तामील उपस्थित नहीं आने पर उनके विरूद्ध कार्यवाही एक पक्षीय अमल में लाई गई।

हमने बहस पर उभयपक्ष अधिवक्तागण को सुना गया। पत्रावली एवं इसमें प्रस्तुत दस्तावेजी रिकॉर्ड का भली भांति अध्ययन किया गया। दौराने बहस अपीलाण्ट्स के अधिवक्ता द्वारा अपील प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया तथा अपील स्वीकार किये जाने बाबत निवेदन किया गया तथा रेस्पो. संख्या 2 लगायत 5 के अधिवक्ता द्वारा जवाब अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए अवगत कराया कि मद संख्या 3 में वर्णित सजरा अधूरा है तथा गलत है। मृतक मोहनलाल के अकेले अपीलाण्ट सायलान ही वारिस नहीं है, बल्कि अपीलाण्ट्स व रेस्पो. मृतक मोहनलाल के विधिक वारिसान है तथा इसी आधार पर हल्का पटवारी द्वारा पूरी कानूनी प्रक्रिया अपनाते हुए नामान्तरकरण राजस्व रिकॉर्ड में अंकन कर ग्राम पंचायत छौंकरवाडा कलां की साधारण सभा में प्रस्ताव लेते हुए स्वीकार किया है, जिससे निरस्त होने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। अतः अपील अपीलाण्ट्स खारिज योग्य है। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। पत्रावली एवं इसमें प्रस्तुत दस्तावेजी रिकॉर्ड का भली भांति अध्ययन किया गया। जिससे हम इस नतीजे पर पहुँचते है कि अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार योग्य नहीं है।

अपील अपीलाण्ट्स खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 25.11.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(राधेश्याम मीणा)
उपखण्ड अधिकारी,
भुसावर (भरतपुर) राज०